न्यायालय–सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
जिला नरसिंहपुर म.प्र. श्री सूरज सिंग राठोड

एम.जे.सी. 23/2026

श्रीमती लायची बाई बनाम पवन व अन्य

आदेश दिनांक 17.03.2026

आवेदक श्रीमती लायची बाई सहित श्री संतोष विश्वकर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

आवेदन पत्र व मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। मूल प्रकरण अनुसार आवेदक ने इस न्यायालय के निराकृत एम.ए.सी.सी. प्रकरण कं.–80/2024 श्रीमती लायची बनाम पवन व अन्य अधिनिर्णय दिनांक 24.09.2025 के अनुसार अवार्ड राशि प्रदान किए जाने का निवेदन किया है। पारित निर्णय अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आवेदिका के पक्ष में तथा अनावेदकगण के विरूद्ध निम्नलिखित अवार्ड पारित किया गया है–

1. दुर्घटना दावा प्रकरण क्र. 80/2024 की आवेदिका श्रीमती लायची बाई प्रकरण के अनावेदकगण से संयुक्तः या पृथकतः कुल 56,180/–(छप्पन हजार एक सौ अस्सी रूपये) क्षतिपूर्ति राशि एवं क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन पत्र प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करेगी। उक्त राशि अनावेदक कमांक–3 बीमा कंपनी द्वारा अधिनिर्णय दिनांक से 02 माह के अंदर जमा करायी जायेगी अन्यथा आवेदिका अवार्ड दिनांक से क्षतिपूर्ति राशि पर 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी होगी। प्रतिकर की राशि जमा होने पर आवेदिका लायची बाई को उनके हिस्से की उक्त संपूर्ण राशि बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे।

हस्तगत प्रकरण में अनावेदक क्र. 3 चोलामण्डलम एम.एस.जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से एक चैक कमांक 972605 चैक दिनांकित 01.12.2025 के माध्यम से यूनियन बैंक गाडरवारा में संधारित अधिकरण के खाता कमांक 447702010120975 की पासबुक में ब्याज राशि सहित जमा की गई है प्रविष्टि के अनुसार उक्त राशि खाते में कलेक्शन उपरांत जमा हो चुके हैं। जिसका पासबुक इन्द्राज दिनांक 12.02.2026 है।

OrderSheet [Contd]

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

आवेदक द्वारा नवीनतम छायाचित्र प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक को **कुल राशि 60,625/—साठ हजार छः सौ पच्चीस रूपये मात्र** प्रदाय किए जाने हेतु एकाउण्ट पेयी चैक तैयार किया जावे।

प्रकरण चैक प्रदाय किए जाने हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

(सूरज सिंग राठोड़)
चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर

कुछ समय पश्चात्–

पक्षकारगण पूर्ववत्।

आदेशानुसार **आवेदक लायची बाई पत्नी श्री कृष्ण कुमार पाली उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बिछुआ थाना पलोहाबड़ा, तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर को कुल जमा क्षतिपूर्ति राशि ब्याज राशि सहित कुल राशि 60,625/—साठ हजार छः सौ पच्चीस रूपये मात्र** बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे।

चैक क्रमांक 071823 के साथ शाखा प्रबंधक राष्ट्रीयकृत बैंक (जिसमें आवेदक का खाता हो) को संबोधित करते हुए तैयार ज्ञापन संलग्न कर, आवेदक को उनके अधिवक्ता के समक्ष प्रदाय किया गया। चैक एवं ज्ञापन की पावती आदेश पत्रिका एवं भुगतान पंजी में ली जाये। तदानुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निराकृत किया जाता है।

आवेदक की पहचान के संबंध में मूल आधार कार्ड प्रस्तुत किये गए, जिसका मिलान कर छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की जाकर मूल आधार कार्ड वापस किये गये। आवेदक की पहचान श्री संतोष विश्वकर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई।

आदेश सी.आई.एस. सॉफटवेयर में अपलोड किया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर यह विविध प्रकरण मूल प्रकरण में संलग्न कर मूल निराकृत दावा प्रकरण अभिलेखागार में समयावधि में जमा किया जावे ।

(सूरज सिंग राठोड़)
चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर